भारत में किसान आत्महत्या

कृषि कुंभ (मई 2023),
खण्ड 02 भाग 12, पृष्ठ संख्या 53–56

भारत में किसान आत्महत्या

डॉ. अंकिता साहू[1], डॉ. सृष्टि बिलैया[2] एवं डॉ. गणेश मस्के[3]

[1,2]अतिथि प्राध्यापक, आर. वी. एस. के. वी. वी., ग्वालियर, म.प्र.

[3]सहायक प्राध्यापक, ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इंदौर, म.प्र., भारत।

Email: ganeshmaske64@gmail.com

कृषि, फसल उत्पादन एवं पशुपालन की एक कला के साथ– साथ एक विज्ञान भी है। इसके व्यापक अर्थ को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता हैय कृषि, फसल अर्थात पौधों की खेती एवं पशुधन उत्पादन करने की एक कला है। औद्योगिक उपयोग हेतु क्षेत्र आधारित भोजन, चाय एवं जैविक संसाधनों का उत्पादन खेती का ही पर्यायवाची है। यह सभी कृषि आधारित क्षेत्रों के लिए मातृभूमि है एवं देश की रीढ़ की हड्डी है। यह स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके मानव जाति द्वारा उत्पन्न मांग जैसे भोजन, फाइबर, ईंधन को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लगभग छह दशक पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा था। वर्त्तमान स्थिति में भी हालात अभी भी वही हैं, पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। खेती करने के लिए मुख्यतः हमारे देश के गांवों का विशेष योगदान है। वर्ष 2021 में कृषि का कुल सकल उत्पाद में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान है। इसके साथ – साथ देश की 52 प्रतिशत आबादी को रोजगार प्रदान करने में कृषि का ही योगदान है। कृषि में तीव्रगति से विकास न केवल आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है बल्कि विदेशी बहुमूल्य मुद्रा अर्जित करने के लिए भी अतिआवश्यक है।

कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र (जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्यस्यपालन आदि) भारत की आजीविका का सबसे बड़ा स्त्रोत है। आज भी लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। जिनमें से 82 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत कृषक हैं। कृषक हमारे समाज की रीढ़ हैं जो हम सभी को भोजन प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश कि जनसँख्या किसान भाइयों पर आश्रित हैं। चाहे वह किसान बड़ा हो या छोटा हो। उन्ही की वजह से आज हम इस ग्रह पर जीवित रहने योग्य हैं। अर्थात किसान विश्व में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इतनी महत्ता रखने के बावजूद उनके पास जीवन यापन करने के लिए उचित साधन उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय किसानों की एक विशिष्ट विशेषता है कि वे दोनों ही बाजार में चाहे वह इनपुट बाजार हो या आउटपुट बाजार दोनों में ही कीमत लेने वाले हैं। इस वजह से किसान एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया जाता है कि इनपुट लागत एवं क्रेडिट लागत इतनी अधिक हो जाती हैय जबकि आउटपुट की कीमत बहुत कम हो जाती है। परिणामस्वरूप लाभप्रदता एवं खेती से रिटर्न में गिरावट आई है। एक ज्ञात तथ्य के रूप में भारत में कृषि ''मानसून का जुआ'' के रूप में मानी जाती है। जिसका अर्थ है कि कृषि बहुत अधिक प्रकृति पर आश्रित है, यानि सिंचाई की सुविधाएँ अभी भी अल्प रूप से विकसित हैं।

कृषक आत्महत्या (वर्ष 2020)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल

10677 किसानों ने आत्महत्या की जिसमें से 5579 किसान और 5098 खेतिहर मजदूर थे। यह भारत में कुल आत्महत्या का (153052) 7 प्रतिशत है। अर्थात 153052 व्यक्तियों में 10677 (7 प्रतिशत) व्यक्ति कृषि क्षेत्र में शामिल थे। कुल किसान आत्महत्या में 48 प्रतिशत व्यक्ति किसान थे और 52 प्रतिशत व्यक्ति खेतिहर मजदूर थे। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 5579 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई, जिनमें कुल 5335 व्यक्ति पुरुष एवं 244 महिला कृषक थीं। इसी प्रकार कुल 5098 खेतिहर मजदूरों में कुल 4621 व्यक्ति पुरुष एवं 477 महिलाऐं थीं।

तालिका क्रमांक 1: भारत में 2020 के दौरान व्यापर (पेशे) के हिसाब से कृषक आत्महत्या

क्र.	पेशा	पुरुष	महिला	ट्रांस जेंडर	कुल
1	कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्ति	9956	721	0	10677
1.1	किसान स्वयं / श्रमिकों की सहायता से	5335	244	0	5579
1.1.1	ऐसे किसान जो स्वयं की ज़मीन पर स्वयं अथवा श्रमिकों की सहायता से खेती करते हैं	4737	203	0	4940
1.1.2	ऐसे किसान जो स्वयं / श्रमिकों की सहायता से लीस पर ली हुई ज़मीन पर खेती करते हैं	598	41	0	639
1.2	कृषि मजदूर	4621	477	0	5098

स्त्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), 2022

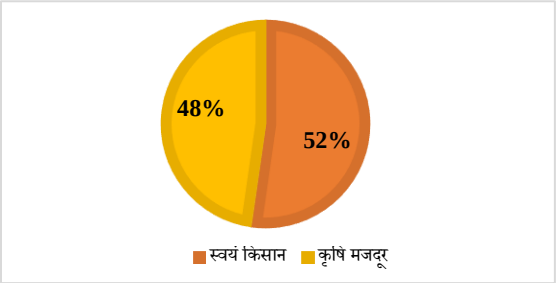

चित्र 1. वर्ष 2020 के दौरान भारत में पेशेवार किसान आत्महत्याएं

भारत में राज्य विशिष्ट किसान आत्महत्याएं

भारतीय राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या की लहर सबसे अधिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। वर्ष 2020 में अन्य राज्यों की तुलना में ये सभी राज्य सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। यह प्रवृत्ति कई वर्षों से इन सभी राज्यों में निरीक्षित की गई है। वर्ष 2020 में भारत के कुछ राज्यों एवं संघ में जैसे बिहार, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, लक्ष्यद्वीप एवं पांडुचेरी में किसान एवं कृषक मजदूरों की संख्या शून्य दर्ज की गई।

तालिका क्रमांक 2: वर्ष 2020 के दौरान भारत में राज्य विशिष्ट किसान आत्महत्या

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	कुल	क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	889	19.	पंजाब	257
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	20.	ओडिशा	7
3.	असम	117	21.	राजस्थान	101
4.	बिहार	0	22.	सिक्किम	16
5.	छत्तीसगढ़	537	23.	तमिलनाडु	477
6.	गोवा	1	24.	तेलंगाना	471

7.	गुजरात	126	25.	त्रिपुरा	0
8.	हरियाणा	280	26.	उत्तर प्रदेश	172
9.	हिमाचल प्रदेश	24	27.	उत्तराखंड	0
10.	झारखण्ड	17	28.	पश्चिम बंगाल	0
11.	कर्नाटक	2016	29.	अण्डमान और निकोबार द. स. (सं. रा. क्षे.)	6
12.	केरला	398	30.	चंडीगढ़ (सं. रा. क्षे.)	0
13.	मध्य प्रदेश	735	31.	दादर और नागर हवेली (सं. रा. क्षे.)	6
14.	महाराष्ट्र	4006	32.	दिल्ली (सं. रा. क्षे.)	0
15.	मणिपुर	1	33.	जम्मू कश्मीर (सं. रा. क्षे.)	1
16.	मेघालय	5	34.	लदाख (सं. रा. क्षे.)	0
17.	मिजोरम	4	35.	लक्षद्वीप (सं. रा. क्षे.)	0
18.	नागालैंड	0	36.	पुडुचेर्री (सं. रा. क्षे.)	0
कुल (राज्य /संघ राज्य क्षेत्र)			**10677**		

स्त्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), 2022

भारत में किसान आत्महत्या (2010–2020)

तालिका क्रमांक 3 के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि किसानों की आत्महत्या की संख्या साल दर साल घट रही है। जोकि वर्ष 2010 में यह संख्या 15964 से घटकर वर्ष 2020 में 10677 हो गई। आत्महत्या कि दर भी 11.9 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत हो गई है। हालाँकि यह भी देखा गया है कि आत्महत्या करने वालों की संख्या वर्ष 2020 में , वर्ष 2017,2018 एवं 2019 की तुलना में अधिक थी। पिछले तीन वर्षों की तुलना में 2020 में कृषक आत्महत्या कि संख्या के बढ़ने का कारण देश में फैली महामारी भी हो सकता है।

तालिका क्रमांक 3: भारत में किसान आत्महत्या (2010–2020)

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल	प्रतिशत हिस्सा
2010	13592	2372	15964	11.9
2011	12071	1956	14027	10.3
2012	11951	1803	13754	11.4
2013	10489	1283	11772	8.7
2014	10889	1471	12360	9.4
2015	11584	1018	12602	9.4
2016	10471	908	11379	8.7
2017	9852	802	10655	8.2
2018	9528	821	10349	7.7
2019	9312	969	10281	7.4
2020	9956	721	10677	7.0

स्त्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर. बी.), 2022

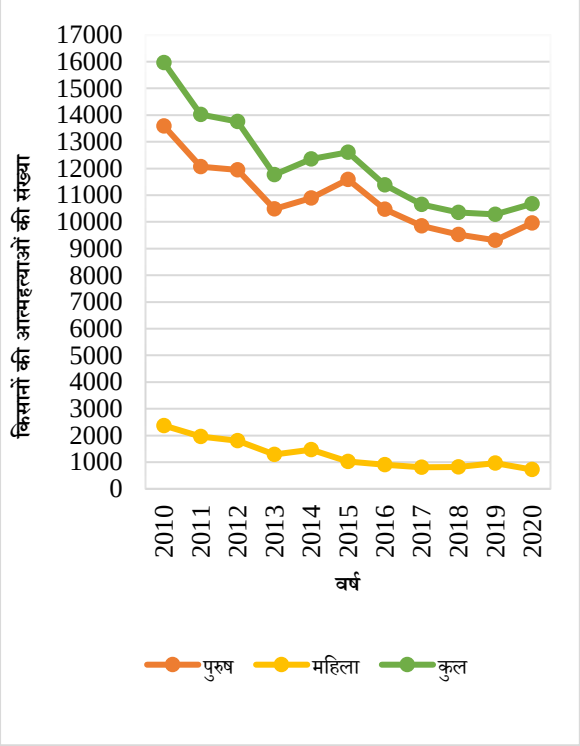

चित्र 2. भारत में किसान आत्महत्या (2010–2020)

देश में विभिन्न प्रकार की बाधाएँ है जो कि किसान आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। मुख्यतः भारत में जुडी समस्याओं के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:

(अ) जलवायु पर निर्भरता –

यह किसान आत्महत्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि कृषि पूरी तरह से जलवायु पर निर्भर है फसल की विफलताय उत्पादन एवं किसानों की आय को कम करने का मुख्य कारण है। फसलों के नष्ट होने के प्रमुख कारण बाढ़, सूखा, वर्षा, तापमान, कीट–पतंगों का प्रकोप आदि हैं। जो कि फसलों कि मात्रा एवं गुणवत्ता को कम कर देते हैं।

(ब) भूमि की चकबंदी –

भारत में साल दर साल भूमि की जोत के औसत आकार में गिरावट आ रही है। इसका मुख्य कारण विरासत का कानून है। अर्थात जनसँख्या में वृद्धि होने के कारण भूमि का विखंडीकरण हो रहा है। जिसके परिणामस्वरूप होल्डिंग कि संख्या बढ़ रही है। लगातार भूमि के आकार में गिरावट होने से किसानों कि आय में भी कमी हो रही है।

(स) फसलों की कीमत में उतार चढाव –

फसलों की कीमत में उतार चढाव न केवल साल दर साल होता है बल्कि प्रतिदिन और यदि देखा जाये तो एक ही दिन में कई बार कीमतों में फेर बदल होता है। मूल्य में परिवर्तन ऊपर या नीचे कि तरफ हो सकता है। फसलों कि कीमत में गिरावट होने के कारण कृषक समुदाय को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कभी – कभी खेती में जोखिम लेना इतना महंगा पद जाता है कि किसानों को सिर्फ फसल की सम्पूर्ण विफलता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ – साथ जिन किसानों ने ऋण लेकर कृषि की थी ऋण को ना चुका पाने की स्थिति में कभी कभी दिवालिया भी घोषित हो जाते हैं। जब फसल की सही कीमत नहीं मिलती है तो कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। परिणामस्वरूप इस विषम परिस्थिति में उन्हें आत्महत्या कर लेना ही एक मात्र विकल्प नजर आता है।

(द) सामाजिक आर्थिक समस्याएं –

समाज में जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति विशेष को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। किसानों द्वारा आत्महत्या करने के पीछे कुछ अन्य सामाजिक आर्थिक कारण भी है। जैसे कि परिवार का पालन पोषण, बेटी कि शादी, स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याएं, रीतिरिवाज, धार्मिक कारक एवं बुरी आदतें जैसे शराब की लत, जुआ आदि किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ाते हैं। फलस्वरूप ये सभी कारण आत्महत्या जैसी घटनाओं को परिणाम देते हैं।

सुझाव –

समस्या की जटिलता एवं बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए राज्य एवं संघ की सरकारों को गंभीर समस्या से निजात पाने हेतु इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए।